संख्याः 423/XXIV-3/09/02(179)2005.

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 27 मार्च, 2009

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः 55471/5ख1/निदेशालय/2008–09, दिनांकः 09 मार्च, 2009 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्याः 21/XXIV-3/09/02(179)2005, दिनांकः 24 फरवरी, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून द्वारा गठित एवं टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 461.30 लाख के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 456.70 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 4.60 लाख (रूपये चार लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में शासनादेश संख्याः 657/XXIV-3/08/02(37)2008, दिनांकः 16 अप्रैल, 2008 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 100.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

(5)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मददे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

क्रमशः.....2

(6)– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च–अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(9)– जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूली किया जायगा। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा।

(10)– किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण का विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नामर्स के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दें एवं डिग्री कालेजों/मेडिकल के हॉस्टलों का निर्माण एच0आई0सी0 के मानकों के आधार पर प्रारम्भिक आगणन गठित किये जायें।

(11)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 2047/XIV-219(2006) दिनांक: 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(12)– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या: 11 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा, खेल–कूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा–00–आयोजनागत, 17–शिक्षा निदेशालय का भवन निर्माण, 24– वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 267/XXVII(1)/2008; दिनांक: 27 मार्च, 2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव

क्रमश.....3

संख्याः 423(1)/XXIV-3/09/02(179)2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल– पौड़ी।
6– जिलाधिकारी, देहरादून।
7– कोषाधिकारी, देहरादून।
8– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
9– वित्त विभाग अनु0–03/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
10– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
11– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– संबंधित निर्माण ऐजेन्सी।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव।